उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highway Division
लो0नि0वि0, इटावा–206001
UPPWD, Etawah-206001

एस0एस0पी0 चौराहा, मैनपुरी रोड, इटावा–206001
SSP Chauraha, Mainpuri Road, Etawah-206001
E-mail: eenhpwdetw@gmail.com
E-mail: nhetawah@gmail.com

पत्रांक 1173 / 9 सी0 दिनांक– 21-10-2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

विषय– जनपद एटा के अन्तर्गत आगरा–जलेसर–एटा मार्ग रा0मा0सं0–321जी0 के किमी0 25.500 से 75.700 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/156552/2022 एवं आपका पत्रांक–639 / 14–1 दिनांक 27.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि आपके द्वारा आगरा–जलेसर–एटा मार्ग के राष्ट्रीय मार्ग सं0 321जी0 के किमी0 0.000 से 75.700 तक के चौड़ीकरण में जनपद एटा के अन्तर्गत किमी0 25.500 से 75.700 तक का भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित है, जिसमें प्रभावित संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के ऑनलाइन प्रस्ताव में आप द्वारा लगाई गई निम्नलिखित त्रुटियों का निराकरण कर पुनः आपको अनुमति हेतु प्रेषित है:–

क्र0 सं0	बिन्दुवार त्रुटियां	आख्या
1	उपरोक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली नहर की दोनों ओर की पटरियां संरक्षित वन घोषित है, परन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव में सम्मिलित सभी नहर पटरियों की चौड़ाई समान रूप से अंकित की गयी है जो की गलत है संशोधित करें।	वन क्षेत्र की गणना क्षेत्रीय वन अधिकारी जलेसर एवं एटा रेंज के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त संशोधित कर दी गई है।
2	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक–343/11–सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ मूल में संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव की के0एम0एल0 उपरोक्तानुसार संशोधित कराकर प्रस्ताव में अपलोड करें।	अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्तावित स्थल के जियो रिफरेन्स मैप उपरोक्तानुसार संशोधित कर प्रस्तुत करें।	ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ मूल में संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव की समस्त वचनबद्धतायें उपरोक्तानुसार संशोधित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ मूल में संलग्न कर दी गई है।
6	प्रस्ताव के साथ उपरोक्तानुसार क्षेत्रफल की गणना प्रस्तुत करें।	ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ मूल में संलग्न कर दिया गया है।

अतः संशोधित प्रस्ताव मूल में संलग्न कर आपको अनुमति सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है।

संलग्नक–प्रस्ताव पांच प्रतियों में।

20/10/2022
(मुकेश कुमार ठाकुर)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

पत्रांक /
दिनांक–

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. एल0एन0 मालविया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 प्लाट नं 29 पॉकेट 3 द्वारिका सेक्टर–11 नई दिल्ली– 110075 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग एटा

पत्रांक 639 /14–1 दिनांक एटा, सितम्बर, 27, , 2022

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग इटावा।

विषयः– जनपद एटा के अन्तर्गत आगरा–जलेसर–एटा मार्ग रा0मा0सं0–321जी के किमी0–25.500 से 75.700 तक के भाग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य कराने में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– ऑनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/ROAD/156552/2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा आगरा–जलेसर–एटा मार्ग राष्ट्रीय मार्ग सं0–321जी के किमी0–0.000 से 75.700 तक के चौडीकरण में जनपद एटा के अन्तर्गत किमी0–25.500 से 75.700 तक का भाग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित है जिसमें प्रभावित संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति चाही गयी है। सम्बन्धित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पायी गयी है।

1. उपरोक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली नहर की दोनों ओर की पटरियां संरक्षित वन घोषित है, परन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव मैं सम्मलित नहरों पटरियों की चौडाई समान रूप से अंकित की गयी है जो की गलत है संसोधित करे ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक–343/11–सी दिनांक–14.08.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव की के0एम0एल0 उपरोक्तानुसार संशोधित कराकर प्रस्ताव में अपलोड करें।
4. प्रस्तावित स्थल के जियो रिफरेन्स मैप उपरोक्तानुसार संशोधित कर प्रस्तुत करें।
5. प्रस्ताव की समस्त वचनबद्धतायें उपरोक्तानुसार संशोधित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
6. प्रस्ताव के साथ उपरोक्तानुसार क्षेत्रफल की गणना प्रस्तुत करें।

अतः आप उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में संशोघन करते हुये संशाधित प्रस्ताव 05 मूल प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा

पत्रॉक /समदिनॉकः

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त अलीगढ को उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा / जलेसर रेंज अन्तर्गत आगरा–जलेसर–एटा मार्ग (एम0एच0–321जी) के चौडीकरण मे प्रभावित संरक्षित वनभूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 16/9/2022 को राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग इटावा के अवर अभियन्ता जितेन्द्र सिंह / ________ के साथ मौके पर जा कर किया गया स्थलीय जांच के दौरान मा। चौडीकरण हेतु प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

कम सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	स्थल का नाम	वनक्षेत्र का प्रकार	लम्बाई	चौडाई	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अभ्युक्ति
1	सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा	जलेसर	हाथरस ब्रांच नहर	संरक्षित वन	30	6.25	187.5 वर्ग मी0	–
2		जलेसर	एटा–अवागढ–जलेसर मार्ग	संरक्षित वन	2800	5.25	14581 वर्ग मी0	आर्क जी.आई.एस. के अनुसार
3		जलेसर	इटावा स्टाफ नहर	संरक्षित वन	64.88	18	1168 वर्ग मी0	–
				कुल योग			15936 वर्ग मी0	–
				कुल योग(हेक्टेयर में)			1.5936 हे0	

स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु 1.5936 हे0 संरक्षित वनभूमि की आवश्यकता है। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत 1.5936 हे0 संरक्षित वनभूमि अतिरिक्त कोई विकल्प नही है, और मांगी गयी 1.5933 हे0 भूमि की मांग न्यूनतम हैं।

Date-
Place-

J.E

(रामजीलाल)
व0 र0
जलेसर रेंज

(संजीव कुमार)
क्षे0व0 अ0 जलेसर रेंज

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा की एटा रेंज अन्तर्गत आगरा–जलेसर–एटा मार्ग (एन0एच0–321जी) के चौडीकरण मे प्रभावित संरक्षित वनभूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 16-09-2022 को राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग इटावा के अवर अभियन्ता जितेन्द्र सिंह के साथ मौके पर जा कर किया गया स्थलीय जांच के दौरान मार्ग चौडीकरण हेतु प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

कम सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	स्थल का नाम	वनक्षेत्र का प्रकार	लम्बाई	चौडाई	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अभ्युक्ति
1	सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा	एटा	कानपुर स्टाम्प नहर	संरक्षित वन	49	18	882 वर्ग मी0	–
2		एटा	लोअर गंगा कैनाल	संरक्षित वन	40	6.25	250 वर्ग मी0	–
3		एटा	जी0टी0 रोड	संरक्षित वन	20	16	320 वर्ग मी0	–
				कुल योग			1452 वर्ग मी0	–
				कुल योग(हेक्टेयर में)			0.1452 हे0	

स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु 0.1452 हे0 संरक्षित वनभूमि की आवश्यकता है। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत 0.1452 हे0 संरक्षित वनभूमि अतिरिक्त कोई विकल्प नही है, और मांगी गयी 0.1452 हे0 भूमि की मांग न्यूनतम हैं।

Date-
Place-

RO E/a 16/9/2

J.E

Full Title of The Project: Rehabilitation & up gradation of Agra-Jalesar-Etah road (NH-321G) from Km. 0.00 to 75.700 Km in the State of Uttar Pradesh

File No.:FP/UP/ROAD/156552/2022

Date of Proposal: 10-06-2022

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–343/11–सी दि0–14.08.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रमाण पत्र

विषयगत प्रस्ताव हेतु यह प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अंन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Place: Etawah

Date: 10/06/2022

Mukesh Kumar Thakur
Mukesh Kumar Thakur
Executive Engineer
Executive Engineer
N.H Division P.W.D. Etawah
N.H. Division, PWD,
Etawah